बिहार सरकार

समाहरणालय, अररिया
(जिला स्थापना प्रशाखा)

दूरभाष सं. : 06453-222001 (का0)
: 06453-222102 (आ0)
फैक्स सं. : 06453-222124
email Id : dm-araria.bih@nic.in

आदेश

मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना के पत्रांक-910, दिनांक 02.07.2018 में निहित निदेश के आलोक में विभिन्न कार्यालयों से कार्यपालक सहायकों के नियोजन हेतु प्राप्त अधियाचना के आधार पर इस कार्यालय द्वारा विज्ञापन प्रकाशित की गई। प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में विधिवत् कार्रवाई करते हुए मेधा सूची का निर्माण किया गया। दिनांक 30.05.2019 को आहूत जिला चयन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प-963, दिनांक 20.01.2016 में निहित निदेश के आलोक में प्रस्तावित आदर्श आरक्षण रोस्टर के आधार पर एवं अनुमोदित मेधा सूची, 2018 के वरीयता क्रम के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को संविदा के आधार पर प्रथम एक वर्ष के लिये सशर्त कार्यपालक सहायक के पद पर नियोजित किया जाता है।

क्र0	नाम/आई0डी0 संख्या	पदनाम	पिता/पति/पता	कोटि, जिसके विरुद्ध नियोजन किये गये है।
1	2	3	4	5
1	श्री मिथिलेश कुमार विश्वास EXA/209022605	कार्यपालक सहायक	श्री परमानन्द विश्वास, सा0-हसनपुर, वार्ड नं0-10, पंचायत-कनखुदिया, पो0+थाना-पलासी भाया-मदनपुर, जिला-अररिया पिन-854333	सामान्य
2	श्री रविन्द्र कुमार EXA/209003580	कार्यपालक सहायक	श्री उमेश साह, सा0-मरूवाही, पो0- औरेय, थाना-पुरैनी, जिला- मधुबनी पिन-852116	सामान्य
3	श्री रवि कुमार सिन्हा EXA/209013061	कार्यपालक सहायक	श्री महेश प्रसाद सिन्हा, सा0-सिपाही टोला, पूर्णियाँ, छोटी मस्जिद, जिला- पूर्णियाँ पिन-854301	सामान्य
4	श्री पप्पु कुमार EXA/209022190	कार्यपालक सहायक	श्री उमाशंकर ओझा, सा0-सुलतान पोखर, वार्ड नं0-02, पोस्ट+थाना-फारबिसगंज, जिला-अररिया पिन-854318	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
5	सुश्री अनामिका EXA/209024866	कार्यपालक सहायक	श्री कलानन्द दास, सा0-खरैहिया बस्ती, वार्ड नं0-12, पोस्ट+थाना+जिला-अररिया पिन-854311	सामान्य महिला
6	सुश्री निशी कुमारी EXA/209004708	कार्यपालक सहायक	श्री सुरेन्द्र प्रसाद देव, सा0-गिदवास, वार्ड नं0-06, थाना-रानीगंज, जिला-अररिया पिन-854311	महिला पिछड़ा वर्ग
7	श्री सरोज कुमार शर्मा EXA/209004776	कार्यपालक सहायक	श्री बिन्देश्वर ठाकुर, सा0+पो0- लक्ष्मीपुर पंडा, थाना- खजौली, जिला-मधुबनी पिन-8547228	अनुसूचित जन जाति

शर्त्ते

1. अभ्यर्थियों का नियोजन अस्थाई रूप से योगदान की तिथि से प्रथम एक वर्ष के लिए होगी एवं आवश्यकता अनुसार तथा कार्य संतुष्टि के आधार पर नियोजन की अवधि के विस्तार पर विचार किया जायेगा। एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व यदि अवधि विस्तार नहीं किया जाता है, तो यह नियोजन एक वर्ष के बाद की तिथि से स्वतः समाप्त हो जायेगा। जिसके लिए अलग से आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
2. नियोजित कार्यपालक सहायक को एक डेस्कटॉप, एक प्रिंटर (Black & White), एक यू0पी0एस0 एवं इंटरनेट कनेक्सन अपने साथ लाना अनिवार्य होगा।

3. नियोजित कार्यपालक सहायक को अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना के पत्रांक- बि0प्र0सु0मि0सो0/योजना-02/2012(खण्ड-II) सो0 488 दिनांक 07.03.2019 के आलोक में प्रतिमाह नियत मानदेय का भुगतान संबंधित कार्यालय द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त इन्हें कोई भी राशि देय नहीं होगी।

4. कार्यपालक सहायक को संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के लिए अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना पत्रांक-बि0प्र0सु0मि0सो0/योजना-02/2012(खण्ड-II) सो0 436 दिनांक 26.02.2019 के निर्गत परिपत्र के आलोक में अवकाश देय होगा।

5. नियोजित कार्यपालक सहायक संबंधित पदाधिकारी एवं अद्योहस्ताक्षरी द्वारा सौंपे गये कार्यो एवं निदेशों का ससमय दृढ़ता पूर्वक निष्पादन करेंगे। कार्यो में लापरवाही एवं सम्पादित कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना नोटिस नियोजन से हटाने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

6. संविदा पर उपरोक्त प्रकार से नियोजित अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में नियमित करने से संबंधित किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

7. चयनित अभ्यर्थियों द्वारा नियोजन की उपरोक्त शर्त्तो को मानने संबंधी एकरारनामा (**Agreement**) प्रस्तुत करने पर ही उनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

8. नियोजित कार्यपालक सहायक को मानदेय का भुगतान पदस्थापित कार्यालय में योगदान करने की तिथि से देय होगा।

9. योगदान हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगी।

10. नियोजन पत्र में वर्णित क्रमशः क्रमांक 01 से 07 तक के अभ्यर्थियों के नियोजन प्रक्रिया पूर्ण रूप से अंतिम चरण में होने के फलस्वरूप उक्त नियोजन पत्र इस शर्त्त के साथ निर्गत की जा रही है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 1382 दिनांक 31.07.2019 के क्रम में किसी भी प्रकार का विभाग से प्रतिकूल आदेश प्राप्त होने पर नियोजन पत्र में वर्णित क्रमशः क्रमांक 01 से 07 तक के अभ्यर्थियों का नियोजन अद्योहस्ताक्षरी द्वारा रद्द किया जायेगा।

11. यह आदेश माननीय न्यायालय/सक्षम न्यायालय/सक्षम प्राधिकार द्वारा भविष्य में पारित किये जाने वाले आदेश से प्रभावित होगा।

नियोजित कार्यपालक सहायक को निदेशित किया जाता है कि वे दिनांक 05-8-2019 तक अचूक रूप से सभी मूल प्रमाण-पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं एकरारनामा के साथ निश्चित रूप से अपना योगदान जिला स्थापना प्रशाखा, अररिया में देना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं करने वाले अभ्यर्थी का भविष्य में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि आप के द्वारा गलत प्रमाण-पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त किया गया है, तो आप का नियोजन रद्द कर दिया जायेगा और आप पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
अररिया

ज्ञापांक 632/स्था0, अररिया, दिनांक 03/08/2019

प्रतिलिपि : सभी संबंधित नियोजित कार्यपालक सहायक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला आई0टी0 प्रबंधक, अररिया/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि इसे जिला के अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, अररिया/अपर समाहर्त्ता, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना के पत्रांक-910, दिनांक 02.07.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
अररिया